विश्वविद्यालय विद्या परिषद की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनॉक 10.07.2009 को अपरान्ह 04:00 बजे विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर में सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. टी.डी.शर्मा** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

2. **डॉ. ए.के.शुक्ला** – सदस्य
   अतिरिक्त संचालक
   उच्च शिक्षा संचालनालय
   रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, उच्च शिक्षा, छ.ग.शासन द्वारा नामांकित सदस्य)

3. **डॉ. अशोक कुमार पारेख** – सदस्य
   अध्यक्ष
   छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
   छ.ग. शासन, रायपुर

4. **डॉ. एम. अली** – सदस्य
   क्षेत्रीय निदेशक
   क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र जगदलपुर
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

5. **श्री एन.के.अग्रवाल** – सदस्य सचिव
   प्रभारी कुलसचिव
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
   बिलासपुर (छ.ग.)

बैठक की कार्यवाही निर्धारित कोरम के अभाव में आधे घंटे स्थगित कर पुनः 04:30 बजे प्रारंभ की गई। बैठक में सर्वप्रथम कुलपति डॉ. टी.डी.शर्मा द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् श्री एन.के.अग्रवाल, प्रभारी कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

प्रस्ताव क्रं 1 – विद्या परिषद की द्वितीय बैठक दिनॉक 24.07.2008 की कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि।
निर्णय – विद्या परिषद की द्वितीय बैठक दिनॉक 24.07.2008 की कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि की गई।

क्रमशः – 03

प्रस्ताव क्रं 2 – विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेंण्डर वर्ष 2009–2010 का अनुमोदन।
निर्णय – विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित अकादमिक कैलेंडर में आंशिक संशोधन सहित अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्रं 3 – अध्यादेश ''सर्टिफिकेट इन माइनिंग सर्विग'' का अनुमोदन।
निर्णय – विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से प्रस्तावित अध्यादेश ''सर्टिफिकेट इन माइनिंग सर्विग'' का यथा अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं 4 – अध्यादेश ''फाइन आर्ट'' का अनुमोदन।
निर्णय – विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से प्रस्तावित अध्यादेश ''फाइन आर्ट'' का यथा अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं 5 – अध्यादेश एम.एस.सी. (आई.टी.) का अनुमोदन।
निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया।

प्रस्ताव क्रं 6 – अध्यादेश एम.एस.सी. (कम्प्यूटर सांइस) का अनुमोदन।
निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया।

प्रस्ताव क्रं 7 – अध्यादेश एम. ए. इन एजुकेशन का अनुमोदन।
निर्णय – विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से प्रस्तावित अध्यादेश एम. ए. इन एजुकेशन का यथा अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं 8 – अध्यादेश ''डी. एड.'' का अनुमोदन।
निर्णय – विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से प्रस्तावित अध्यादेश डी.एड. का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं 9 – डॉ. सी.वी रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर के साथ पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की Academic and technical Collaboration संबंधी अनुबध पर विचार।
निर्णय – विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि पाठ्यसामग्रीयों हेतु छत्तीसगढ़ शासन के क्रय नियम के अनुसार ही कार्यवाही किया जावें यथा खुली निविदा बुलाई जावें। Academic and technical Collaboration हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर से अभिमत लिया जावें।

प्रस्ताव क्रं 10 – डी.एड. की पाठयसामग्री प्राप्त करने संबंधी MOU पर विचार।
निर्णय – विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि पाठ्यसामग्रीयों हेतु खुली निविदा बुलाई जावें।

प्रस्ताव क्रं 11 – बी.पी.पी. पाठयक्रम की पाठयसामग्री/सिलेबस पर विचार।
निर्णय – विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि बी.पी.पी. हेत इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली (इग्नू) का ही पाठयक्रम रखा जावें तथा इग्नू से अनुबंध कर वि.वि. अपने स्तर पर अध्ययन सामाग्री छपावे।

प्रस्ताव क्रं 12 – आई.के.सी. पुने से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।
निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया।

प्रस्ताव क्रं 13 – अध्यादेश "पी.जी. डिप्लोमा योग विज्ञान" का अनुमोदन।
निर्णय – विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से प्रस्तावित अध्यादेश "पी.जी. डिप्लोमा योग विज्ञान" का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं 14 – अध्यादेश "डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन" पर विचार।
निर्णय – विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से प्रस्तावित अध्यादेश "डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन" का अनुमोदन किया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –</u>

प्रस्ताव क्रं. 15 – यू.जी.सी. रेगुलेशन 2009 (3rd amendment) पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद द्वारा श्री बी.के.सिंह, उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1–1/2002(PS) Exemp, दिनॉक 12.06.2009 का अवलोकन करने के पश्चात् निर्णय लिया कि –

1. विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. में पंजीकृत शोधार्थीयों के संबंध में विधिक परामर्श लिया जावें तथा मार्गदर्शन हेतु यू.जी.सी. को पत्र लिखा जावें।
2. ऐसे शोधार्थी जिन्होने पी.एचडी हेतु आवेदन किया है लेकिन शोध उपाधि समिति की बैठक नही हो पाई है उनके फीस वापसी हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जावें।

प्रस्ताव क्रं. 16 – विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 06 एवं 07 के Examination Scheme पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 06 (Diploma in Computer Application) एवं अध्यादेश क्रमांक 07 (Post Graduate Diploma in Computer Application) का अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रचलित अध्यादेश के अनुसार कुल 100 अंकों मे न्यूनतम 50 अंक पाना अनिवार्य था, इस अध्यादेश में संशोधन कर सभी विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त विद्यार्थी को भी उत्तीर्ण किये जाने प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात् तदनुसार कार्यवाही किया जावें।

प्रस्ताव क्रं. 17 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 05 Fee Structure of the Course पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के कुछ पाठयक्रमों के फीस को बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुये विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को औचित्यपूर्ण फीस वृद्वि हेतु अधिकृत किया गया।

क्रमशः – 05–

प्रस्ताव कं. 18 छत्तीसगढ़ हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर से क्रय किये गये पाठयसामग्रीयों के भुगतान पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर से यूनीफाइड सिलेबस के अनुसार पाठयसामग्री लिखाकर छपाये जाने हेतु अधिकृत करते हुये क्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किया गया।

प्रस्ताव कमांक 19 – बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि एन.सी.टी.ई. से नियमानुसार प्रवेश संख्या में वृद्धि हेतु अनुमति लेकर विश्वविद्यालय कार्यवाही कर सकता है।

अंत में अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रगट करते हुये परिषद की बैठक समाप्त की गई।

(डॉ. टी.डी.शर्मा)
कुलपति / अध्यक्ष
अनुमोदित
10.7.09

(एन.के.अग्रवाल)
प्र. कुलसचिव / सदस्य सचिव